पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 144/2019

अनवान :

1. विजयसिंह शर्मा पुत्र रामदेव जाति ब्राहम्ण निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
2. मुकेशकुमार शर्मा पुत्र रामदेव जाति ब्राहम्ण निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।

– वादीगण

बनाम

1. रामदेव पुत्र गंगाजल जाति ब्राहम्ण निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
2. सीमा पत्नी स्व. गोरीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी उतरादाबास तहसील भादरा (हाल सीमा पत्नी विजयकुमार शर्मा, उतरादाबास)
3. ज्योति पुत्री स्व. गोरीशंकर आयु 16 वर्ष
4. विक्रम पुत्र स्व. गोरीशंकर आयु 14 वर्ष नाबालिगान जरिये माता सीमा पत्नी स्व. गोरीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
5. कृष्णा पुत्री रामदेव जाति ब्राहम्ण निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
6. रामेती पुत्री रामदेव जाति ब्राहम्ण निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
7. मन्जु पुत्री रामदेव जाति ब्राहम्ण निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
8. पंजाब नेशनल बैक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 श्री ताराचन्द मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा उतरादाबास के वर्तमान खाता सं0 189/177 के खसरा सं0 86 की 2.9710 है0 खसरा सं0 107 की 5. 9690 है0 खसरा सं0 394 की 6.7530 है0 कुल किता 3 की 15.6930 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी रामदेव के नाम से खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 रामदेव के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 रामदेव कुल कृषि भूमि के 3/4 हिस्सा में बहिस्सा बराबर व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 कुल कृषि भूमि के 1/4 हिस्सा में बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादिया सं0 5 ता 7 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उंपरोक्त घोषणानुसार कुल कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 रामेदव के नाम 3/4 हिस्सा में संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 के नाम 1/4 हिस्सा में संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16-08-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

16.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 144/2019

अनवान :

1. विजयसिंह शर्मा पुत्र रामदेव जाति ब्राहम्ण निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
2. मुकेशकुमार शर्मा पुत्र रामदेव जाति ब्राहम्ण निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।

– वादीगण

बनाम

1. रामदेव पुत्र गंगाजल जाति ब्राहम्ण निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
2. सीमा पत्नी स्व. गोरीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी उतरादाबास तहसील भादरा (हाल सीमा पत्नी विजयकुमार शर्मा उतरादाबास)
3. ज्योति पुत्री स्व. गोरीशंकर आयु 16 वर्ष
4. विक्रम पुत्र स्व. गोरीशंकर आयु 14 वर्ष नाबालिगान जरिये माता सीमा पत्नी स्व. गोरीशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
5. कृष्णा पुत्री रामदेव जाति ब्राहम्ण निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
6. रामेती पुत्री रामदेव जाति ब्राहम्ण निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
7. मन्जु पुत्री रामदेव जाति ब्राहम्ण निवासी उतरादाबास तहसील भादरा।
8. पंजाब नेशनल बैक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **वादीगण**

वकील श्री ताराचन्द मोठसरा : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 16.08.2019

संक्षेप में वांद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा उतरादाबास के वर्तमान खाता सं0 189/177 के खसरा सं0 86 की 2.9710 है0 खसरा सं0 107 की 5.9690 है0 खसरा सं0 394 की 6.7530 है0 कुल किता 3 की 15.6930 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी रामदेव के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा गंगाजल की खातेदारी हुआ करती थी। वादीगण के दादा गंगाजल के देहान्त होने पर उक्त वादभूमि प्रतिवादी रामदेव के नाम कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन दर्ज हुई है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

16.8.19
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

वाद भूमि से सम्बन्ध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 का ारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादीगण सीमा, कृष्णा, रामेती एवं मन्जु ने ना हक हिस्सा छोड़ कर तर्क कर दिया तथा अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया जिस उक्त कुल वादभूमि जो प्रतिवादी रामेदव के नाम से दर्ज है उसमें वादीगण एवं तिवादी रामदेव को संयुक्त रूपे से. 3/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी ज्योति व विक्रम को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा भूमि प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार वादभूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त चली आ रही है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं. 8 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादीगण में पीडब्ल्यु 1 विजयसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य चित्र प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम उतरादाबास खाता सं0 189/177 सम्वत 2071–74 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम उतरादाबास अनूपशहर सम्वत् 2019 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत उतरादाबास प्रदर्श 3, आंशिक नजरी नक्शा ग्राम उतरादाबास प्रदर्श 4, भूमि प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादीगण ने ग्राम उतरादाबास के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण में अपने दावा में अंकित किया है कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम उतरादाबास अनूपशहर सम्वत् 2019 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादीगण के दादा गंगाजल वल्द लिछमण के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में रामदेव शर्मा के वारिसान में पत्नि कमला देवी, तीन पुत्रियां कृष्णा, रामेती, मन्जु व तीन पुत्र जिनमें से मुकेश शर्मा, विजय सिंह शर्मा मौजूद होना व एक पुत्र गौरी शंकर फौत होना जिसके वारिसान में पत्नि सीमा, एक पुत्र विक्रम व एक पुत्री ज्योति होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

सहायक 26.8.19
(फास्ट ट्रेक)...

अत : वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा ाती है कि रोही मौजा उतरादाबास के वर्तमान खाता सं0 189/177 के खसरा सं0 ी 2.9710 है0 खसरा सं0 107 की 5.9690 है0 खसरा सं0 394 की 6.7530 है0 कुल ा 3 की 15.6930 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी रामदेव के नाम से खातेदारी दर्ज है केले प्रतिवादी सं0 1 रामदेव के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 रामदेव कुल कृषि ि के 3/4 हिस्सा में बहिस्सा बराबर व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 कुल कृषि भूमि के /4 हिस्सा में बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से तिवादिया सं0 5 ता 7 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार कुल कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 रामेदव के नाम 3/4 हिस्सा में संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 के नाम 1/4 हिस्सा में संयुक्त रूप से बहिस्सा बशबर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसारं पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.08.19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़